37.4 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान दिल्ली में सोमवार को। यह सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगल-बुध को मध्यम बारिश की संभावना है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 6 अगस्त 2019

सख्ती ▸ हाई कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी को मानसून के दौरान निगरानी रखने के दिए आदेश, कहा

जलभराव से हाईटेक तरीके से निपटें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बारिश में जलभराव के दौरान होने वाली समस्या पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जो मानसून के दौरान जलभराव और जाम की स्थिति में खुद काम करना शुरू कर दे। बारिश शुरू होते ही वाटर पंप चालू कर दिया जाए। बिजली के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि बिजली ठप होने पर जनरेटर अपने आप काम करना शुरू कर दे।

न्यायमूर्ति सीएस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग को मानसून के दौरान शहर की निगरानी रखने के निर्देश दिए। याचिका पर अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। पिछली तारीख पर पीठ ने कहा था कि जलभराव व जाम की समस्या से निपटने के लिए कमांडों की तरह काम करें। दिल्ली सरकार ने 30 जुलाई को कोर्ट से कहा था कि मानसून के दौरान आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा था कि बारिश के दौरान तेज प्रवाह से आने वाले पानी को जल संग्रहण के लिए ट्रांसफर करना काफी मुश्किल है। कोर्ट ने यह दिशा-निर्देश 2018 की मीडिया में आई खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते जनहित याचिका पर दिए।

शाह के सवाल का जवाब ढूंढ़ रही नौकरशाही

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सवाल का जवाब ढूंढ़ने के लिए दिल्ली की नौकरशाही लगी हुई है। गत दिनों निगमबोध घाट पर जलभराव देख कर उन्होंने अधिकारियों से पूछा था कि यहां पर जलभराव क्यों होता है? लोग श्मशान घाट कैसे आते होंगे? उनके इन सवालों के बाद दिल्ली सरकार की नौकरशाही सक्रिय है। मुख्य सचिव विजय देव ने नगर निगम व लोक निर्माण विभाग से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने इस समस्या के हल के बारे में भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

गत 21 जुलाई को दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार के समय तेज बारिश के बाद दक्षिणी गेट पर जलभराव हो गया था। शाह ने इसके बाबत अधिकारियों से जवाब मांगा था।

निगमबोध श्मशान घाट के संचालन समिति के मुख्य प्रबंधक सुमन गुप्ता का कहना है कि दक्षिणी गेट पर पानी भर जाने की समस्या वर्षों पुरानी है। उन्होंने शीला दीक्षित से भी कई बार शिकायत की थी। लेकिन समस्या का हल नहीं हो सका है क्योंकि रिंग रोड की तरफ का भी पानी इधर आता है जो आगे यमुना में जाता है। मगर यमुना की तरफ का इलाका ऊंचाई पर है। ऐसे में पानी ढंग से नहीं निकल पाता और बारिश होते ही जलभराव हो जाता है। वहीं घाट के दक्षिणी गेट पर दुकान चला रहे पवन कुमार बताते हैं कि बारिश होने पर यहां घुटनों तक पानी भरता है। कई बार तो बगैर बारिश के भी पानी भर जाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अंतेष्टि के दौरान हुई बारिश के कारण निगम बोध घाट पर पानी भर गया था। गृहमंत्री ने अधिकारियों से इसका कारण पूछा था। (फाइल फोटो)

पोक्सो एक्ट में खामियों पर विचार करेगा हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले पर गैर सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के सुझावों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विचार किया। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष एनजीओ ने जांच अधिकारी, बाल कल्याण समिति, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, कानूनी सहायता वकील और अभियोजक द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं का उल्लेख करते हुए अंतरिम और अंतिम मुआवजे की रिपोर्ट तैयार करने के लंबे दौर का पीड़ित पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाया। अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।

एनजीओ की याचिका में दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (डीसीपीसीआर) द्वारा किए गए अध्ययन पर विचार करने की मांग की गई है, जिसमें पोक्सो एक्ट-2012 की खामियों को उजागर किया गया था। एनजीओ की तरफ से अधिवक्ता प्राभसहाय कौर ने डीसीपीसीआर की रिपोर्ट पेश करते हुए हाई कोर्ट को दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों से अवगत कराया।

एनजीओ ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 99 फीसद पीड़ितों को मुआवजा योजना 2016 के तहत पूर्ण मुआवजा राशि नहीं मिली है। इस साल शुरुआत में जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि हर तीन में से एक दुष्कर्म पीड़ित द्वारा सामाजिक कलंक और स्वास्थ्य संबंधी चिंता के कारण स्कूल छोड़ दिया जाता है।

दिल्लीवालों की जुबानी सुनने को मिलेगी दिल्ली की कहानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जिन्होंने दिल्ली को जी भर के जिया और जिनकी हर सांस समर्पित की है, ऐसे लोगों की जुबानी यहां की कहानी सुनाने की योजना दिल्ली अभिलेखागार विभाग ने बनाई है। इसमें दिल्ली की 30 प्रसिद्ध शख्सियतों से बातचीत का ऑडियो-वीडियो रिकार्ड संरक्षित किया जाएगा। अब तक पूर्व उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, इतिहासकार आरवी स्मिथ, दिल्ली घराने के खलीफा उस्ताद इकबाल अहमद खान, चित्रकार कृष्ण खन्ना, उर्दू लेखक गुलजार देहलवी समेत कुल 20 लोगों के नाम तय किए गए हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इसकी औपचारिक शुरुआत की गई। उद्घाटन समारोह में इतिहासकार सोहेल हाशमी, आरवी स्मिथ, इरफान हबीब, ऊषा पुरी ने दिल्ली से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं।

कला संस्कृति व भाषा विभाग की सचिव रिंकू डुग्गा ने कहा कि लोगों की जिंदगी असली दिल्ली से रूबरू कराएगी। यह भी बताया कि इतिहास दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में आम लोग भी शामिल होंगे। इसके लिए इच्छुक लोग अभिलेखागार से संपर्क कर सकते हैं। एक समिति मिलकर तय करेगी कि उनकी आवाज में इतिहास दर्ज किया जाए या नहीं। इसके बाद अभिलेखागार की टीम साक्षात्कार करेगी।

प्रतिक्रियाएं

मौखिक इतिहास बाकि अन्य इतिहास के संकलन से बिल्कुल अलग है। इसे तत्काल शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जितना विलंब होगा, उतना ही इतिहास की घटनाओं को सुनने से हम वंचित होंगे। ओरल हिस्ट्री के जरिये वे भी इतिहास को जान सकेंगे जो लिखना- पढ़ना नहीं जानते।

-प्रो. इरफान हबीब, इतिहासकार

शहर से जुड़े बहुत से किस्से, कहानियां हैं, जो लोगों के बीच हैं। यह कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे और उनकी दिल्ली से जुड़ी यादों को संरक्षित करेगा। इससे शोध करने वाले छात्रों को भी मदद मिलेगी।

-सोहेल हाशमी, इतिहासकार

यह शहर लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने वाला है। भले ही लोग कई मायनों में अलग हों लेकिन उनके जायके में समानता है।

-अभिनंदिता, दिल्ली सरकार की कल्चरल एडवाइजर

न्यूज गैलरी

दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी किया सातवां कटऑफ

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने सोमवार को रात नौ बजे सातवां कटऑफ जारी कर दिया है। सामान्य वर्ग के लिए नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में 97.25 फीसद, हिंदू कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में 97.50 फीसद कटऑफ निर्धारित किया गया है। इस कटऑफ के तहत सामान्य वर्ग के लिए किरोड़ीमल कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 97 फीसद, इंग्लिश ऑनर्स के लिए 95.75, हिंदी ऑनर्स के लिए 87.50, बीकॉम के लिए 96.25 फीसद कटऑफ जारी हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए रामजस कॉलेज में बीकॉम में 95.75 फीसद, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन में बीकॉम ऑनर्स के लिए 97.50 फीसद, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 98.62 फीसद कटऑफ निर्धारित हुआ है। छात्रों के पास गुरुवार तक दाखिले का अवसर है। डीयू से संबद्ध नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड (एनसीवेब) का भी 5वां कटऑफ जारी कर दिया गया है। इसके तहत बीकॉम व बीए प्रोग्राम कोर्स में दिल्ली की रहने वाली छात्राएं दाखिले ले सकती हैं। (जासं)

डॉ. महेश वर्मा आइपीयू के कुलपति बने

नई दिल्ली : मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान के निदेशक-प्रिंसिपल प्रोफेसर (डॉक्टर) महेश वर्मा को गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आइपी) विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पांच साल की अवधि के लिए होगी। दिल्ली सरकार के सचिव (उच्च शिक्षा) संदीप कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रोफेसर (डॉक्टर) महेश वर्मा को आइपी विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्ति किया है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि वह एक-दो दिन में आइपी के कुलपति का कार्यभार संभाल लेंगे। (जासं)

एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा के साथ तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। वह थाई एयरवेज की उड़ान से बैंकॉक जाने की जुगत में था। उसके पास से 42 लाख 61 हजार मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। कस्टम अधिकारी ने बताया की तीन अगस्त को एक संदिग्ध शख्स विदेश यात्रा के लिए आइजीआइ एयरपोर्ट पहुंचा। अधिकारियों ने उसके बैग की जांच की तो उससे विदेशी मुद्रा बरामद हुई। कस्टम अधिकारी अब यह जांच कर रहे हैं कि तस्कर कहां से विदेशी मुद्रा लेकर आया था और उसे कहां खपाया जाना था। (जासं)

आशियाने की दरकार पर असुविधाओं की मार

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

तमाम कोशिशों के बावजूद 2014 और 2017 की तरह एक बार फिर से आवंटियों ने डीडीए फ्लैट लौटाने शुरू कर दिए हैं। ड्रा आने के दो सप्ताह में ही फ्लैट लौटाने वालों की संख्या एक हजार का आंकड़ा पार कर गई है, जो कई हजार तक पहुंच सकती है। उधर, डीडीए का कहना है कि उसकी ओर से कुछ भी छिपाया नहीं गया था।

25 मार्च को लांच हुई आवासीय योजना 2019 का ड्रा 23 जुलाई को हुआ था। 17,922 फ्लैटों वाली इस योजना के लिए पहले तो आवेदन ही कम आए। इसलिए ड्रॉ में केवल 10,294 फ्लैट शामिल किए जा सके। इनमें से भी आवंटन महज 8,438 का हो पाया। डीडीए ने इन फ्लैटों के लिए अभी मांग एवं आवंटन पत्र जारी करना भी शुरू नहीं किया है कि सफल आवंटियों ने फ्लैट लौटाने शुरू कर दिए हैं। 30 आवंटियों ने तो ड्रॉ वाले दिन ही अपने फ्लैट वापस कर दिए थे। इसके बाद से लगातार डीडीए के पोर्टल पर फ्लैट लौटाने का सिलसिला चल रहा है। यह क्रम अभी मांग और आवंटन पत्र जारी होने के 15 दिन बाद तक चलेगा। ज्यादातर फ्लैट नरेला वाले ही लौटाए जा रहे हैं। फ्लैट लौटाने वाले आवंटियों की शिकायत लोकेशन अच्छी न होना, सुविधाओं के अनुपात में कीमतें ज्यादा होना, आसपास का माहौल अच्छा न होना तथा नागरिक सुविधाओं का अभाव है। हालांकि डीडीए ने फ्लैट लौटाने वाले आवंटियों को जरूरतमंद मानने से ही इन्कार कर दिया है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि डीडीए ने योजना लांच करते हुए कुछ भी छिपाया नहीं था। यहां तक कि इच्छुक आवेदकों को आवेदन से पहले फ्लैट दिखाने तक की व्यवस्था की गई थी।

फ्लैटों की बदहाली और असुविधाओं के चलते ही 2014 में भी तकरीबन 25 हजार में से 14 हजार लोगों ने फ्लैट लौटा दिए थे। 2017 में 12,617 में हजारों आवंटियों ने अपने फ्लैट वापस कर दिए थे। इसलिए इस बार डीडीए ने अनेक रियायतें भी ऑफर की थीं। लेकिन फ्लैटों की दुर्दशा व स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आया।

> योजना लांच करते समय सब कुछ साफ-साफ बता दिया था। वेबसाइट पर सभी जगह की लोकेशन भी डाल दी थी ताकि आवेदन से पूर्व ही आवेदक वस्तुस्थिति जांच लें। नागरिक सुविधाएं धीरे-धीरे विकसित होती हैं, एकदम से नहीं। हमें तो यही लगता है कि जो भी आवंटी अपना फ्लैट वापस कर रहे हैं, उन्हें घर की जरूरत ही नहीं है।
>
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए**

अस्पतालों में ड्यूटी पर लौटे डॉक्टर, मरीजों को राहत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक के खिलाफ चार दिनों की हड़ताल के बाद सोमवार को अस्पतालों में कामकाज सामान्य रहा। एम्स सहित सभी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर लौट आए। इससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अस्पतालों में इमरजेंसी के अलावा ओपीडी में भी सामान्य रूप से मरीजों का इलाज हुआ। एम्स में चार दिन के बाद ओपीडी में चिकित्सा सुविधाएं सामान्य होने के कारण मरीजों की भीड़ भी अधिक देखी गई। हालांकि एम्स के मेडिकल के छात्रों ने एनएमसी बिल का विरोध जारी रखा है।

उल्लेखनीय है कि एक अगस्त को एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने हड़ताल की घोषणा की थी। उस दिन से ही एम्स में ओपीडी सेवा प्रभावित थी। हालांकि दिल्ली सरकार के ज्यादातर अस्पतालों में तीन अगस्त को ही डॉक्टर ड्यूटी पर लौट आए थे। लेकिन एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, हिंदू राव व एक अन्य अस्पताल में हड़ताल जारी थी। एम्स आरडीए व फोर्डा ने रविवार शाम को ही हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इसके बाद एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों में मतभेद सामने आ गया था क्योंकि ज्यादातर हड़ताल वापस लेने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि सुबह रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर लौट आए।

एनएमसी बिल के खिलाफ एम्स परिसर में गले में फंदा डालकर विरोध प्रदर्शन करते मेडिकल छात्र। उन्होंने मरीजों से भी विधेयक के खिलाफ समर्थन मांगा। जागरण

इसलिए मरीजों के इलाज में कोई परेशानी नहीं आई। सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर सुबह करीब 10 बजे ड्यूटी पर लौटे इसलिए ओपीडी सेवा थोड़ी देर से शुरू हुई।

इंस्पेक्टर राज होगा खत्म : डॉक्टरों की ओर से हड़ताल वापस लिए जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर साथियों द्वारा हड़ताल खत्म करने का फैसला इस बात का सबूत है कि हर एक नागरिक देश की तरक्की में योगदान देने का तैयार है। एनएमसी बिल से देश भर में मेडिकल शिक्षा में एकरूपता आएगी। एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में एक कॉमन परीक्षा नेक्स्ट देना होगा। इससे मेडिकल शिक्षा में व्यापक सुधार होगा और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया सहित कई देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी उपयोगिता स्वीकार की है।

आइएमए ने आठ अगस्त को हड़ताल की बात दोहराई : एनएमसी बिल के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने विरोध जारी रखा है। इसी क्रम में एसोसिएशन ने सोमवार को एक बार फिर देशव्यापी हड़ताल की घोषणा करते हुए कहा कि आठ अगस्त को 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ठप रखी जाएंगी। एसोसिएशन ने देशभर के डॉक्टरों से आठ अगस्त को ओपीडी व इमरजेंसी में भी हड़ताल करने अपील की है।

मेडिकल छात्रों ने गले में फंदा डाल किया विरोध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के खिलाफ मेडिकल के छात्रों व रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध जारी रखने का फैसला किया है। सोमवार को एम्स में छात्र एसोसिएशन ने अस्पताल परिसर में सांकेतिक रूप से गले में फंदा डालकर विधेयक का विरोध किया। इस दौरान जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में सड़क के किनारे बैठकर मरीजों का इलाज करते हुए विरोध जताया। इस दौरान अस्पताल पहुंचे मरीजों से भी विधेयक के खिलाफ समर्थन मांगा। एम्स छात्र एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मुकुल कुमार ने कहा कि हड़ताल खत्म करने का मतलब यह नहीं कि मेडिकल के छात्र व रेजिडेंट डॉक्टर विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल, अस्पतालों में लंबे समय तक हड़ताल से लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। मरीजों की हित में हड़ताल खत्म की गई है। उन्होंने कहा कि एनएमसी विधेयक के प्रावधानों से मेडिकल शिक्षा में सुधार नहीं होगा, बल्कि उससे मुश्किलें और बढ़ेंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दवा लिखने का अधिकार देने से झोलाछाप डॉक्टर बढ़ेंगे।

हर शहर में बनेगा जमीयत सद्भावना मंच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

धार्मिक सद्भाव और विश्वास को बढ़ाने के लिए देश के हर शहर में जमीयत सद्भावना मंच का गठन किया जाएगा। यह फैसला जमीयत उलेमा ए हिंद के नेतृत्व में तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में आयोजित अमन व एकता सम्मेलन में लिया गया। उन्मादी हिंसा की अमानवीय घटनाओं और सांप्रदायिक उन्माद के बीच देश में धार्मिक सद्भावना व भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। इसमें विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रोताओं की भी मौजूदगी रही। इस अवसर पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पढ़ा गया। मौलाना महमूद मदनी के अलावा परमार्थ आश्रम के संस्थापक स्वामी चिदानंद सरस्वती, जैन धर्म के डॉ. आचार्य लोकेश मुनी, बुद्धिस्ट लामा लव बजांग और आर्कबिशप अनिल जोसेफ थॉमस व बंगला साहिब गुरुद्वारा के ज्ञानी रंजीत सिंह ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया।

घोषणा पत्र में निहत्थे और कमजोर लोगों पर सामूहिक हमले और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार कर जनता में भय और निराशा पैदा करने की निंदा करते हुए कहा गया कि यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकारों से उन्मादी हिंसा के खिलाफ तुरंत प्रभावी कानून बनाने की मांग की गई।

जमीयत उलेमा ए हिंद के महासचिव और इस सम्मेलन के आयोजक मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश में शांति के माहौल के लिए हर जिला और शहर में जमीयत सद्भावना मंच स्थापित करेगा जिनमें हर वर्ग व हर धर्म के नागरिकों को शामिल किया जाएगा। इस मंच की तरफ से संयुक्त बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में विचार रखते महमूद मदनी। साथ में अन्य धर्म के गुरु। सम्मेलन में उन्मादी हिंसा के खिलाफ तुरंत प्रभावी कानून बनाने की मांग की गई। जागरण

कैदियों को नहीं मतदान का अधिकार : आयोग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कैदियों को मतदान का अधिकार देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट में कहा कि कैदियों को जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदान का अधिकार नहीं है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।

निर्वाचन आयोग के पोल पैनल ने मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ के समक्ष शपथ पत्र दाखिल कर कहा कि मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62 के तहत एक वैधानिक अधिकार है। हाई कोर्ट में तीन विधि छात्र प्रवीण कुमार चौधरी, अतुल कुमार दुबे और प्रेरणा सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। विधि छात्रों ने देशभर की जेलों में बंद सभी कैदियों को मतदान का अधिकार देने और उन्हें सुविधा प्रदान करने की मांग की थी।

उन्होंने कैदियों को मतदान के अधिकार से वंचित करने के प्रावधान को चुनौती दी थी। वकील कमलेश मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मतदान के अधिकार से वंचित करना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मुख्यधारा के राजनीतिक निर्णय से कैदियों को दूर करना है।

डीयू में विभागों के पाठ्यक्रम को बदलने पर शिक्षक आमने-सामने

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में कुछ विभागों के कोर्सों के पाठ्यक्रम बदलने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। डीयू के अकादमिक सदस्य एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। डीयू ओवरसाइट कमेटी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए इंग्लिश, हिस्ट्री, पोलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जैसे चार विभागों के एक सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को पास कर दिया। इसे लेकर शिक्षक आमने-सामने आ गए हैं।

डीयू के अकादमिक परिषद (एसी) के सदस्य डॉ. रसाल सिंह ने बताया कि ओवरसाइट कमेटी द्वारा चारों विभागों के कोर्स के पाठ्यक्रम के शेष पांच सेमेस्टर को फिर से वापस विभागों को भेज दिया गया है। इन विभागों के कोर्स के पाठ्यक्रम के पांचों सेमेस्टर को कम से कम एक महीने के लिए डीयू की वेबसाइट पर डालकर अधिक से अधिक शिक्षकों, अन्य हितधारकों, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इनमें व्यापक संशोधन करने की भी विभागों को हिदायत गई है। डॉ. रसाल सिंह ने कहा कि इन चारों विभागों के पाठ्यक्रमों में विभाजनकारी और विवादास्पद सामग्री मौजूद है। उसे हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी जगह भारतीय पाठ्यक्रम को तरजीह देने की सलाह ओवरसाइट कमेटी ने दी है।

164 अंग्रेजी के शिक्षकों ने डीयू के कुलपति को लिखा पत्र

डीयू के 164 अंग्रेजी के शिक्षकों ने कुलपति प्रो. योगेश त्यागी को रविवार को पत्र लिखा है। इसमें आरोप लगाया है कि डीयू की राइट विंग के शिक्षक संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीएफ) से जुड़े अकादमिक परिषद के आठ सदस्यों की तरफ से पाठ्यक्रम बदलने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। ये सदस्य गलत सूचनाएं विश्वविद्यालय में फैला रहे हैं। वहीं इस मामले में एनडीटीएफ के अध्यक्ष प्रो. राकेश पांडेय ने इन शिक्षकों के आरोपों का खंडन किया है। प्रो. पांडेय ने कहा है कि चारों विभागों के कोर्स के पाठ्यक्रम में कुछ विवादित सामग्री मौजूद थी, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी और उन्हें बदलने के लिए वापस भेजा गया था।

योजना

बल्डिंग में नीचे अराइवल और ऊपर के तल पर बनाया जाएगा डिपार्चर टर्मिनल, पहली बार टर्मिनल में 22 एयरोब्रिज का कराया जाएगा निर्माण

जून 2022 में मिलेगा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टर्मिनल-वन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (आइजीआइ) पर चल रहा टर्मिनल-वन का विस्तार कार्य जून 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके बाद टर्मिनल का क्षेत्रफल तीन गुना बढ़ जाएगा। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं में भी इजाफा होगा। बिल्डिंग में नीचे अराइबल और ऊपर के तल पर डिपार्चर टर्मिनल बनाया जाएगा। यही नहीं पहली बार टर्मिनल में 22 एयरोब्रिज (डिपार्चर एरिया को विमान से जोड़ने वाले पुल) का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा यहां पर तमाम आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।

सोमवार को प्रेसवार्ता में जीएमआर ग्रुप के उप प्रबंध निदेशक आइ प्रभाकर राव ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में आइजीआइ एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की संख्या में खासी वृद्धि हुई है। भीड़ को देखते हुए डायल ने टर्मिनल-थ्री की तर्ज पर टर्मिनल-वन के विस्तार की योजना बनाई है। इसके तहत तीन चरणों में टर्मिनल व एयरसाइड सहित लैंडसाइड में विस्तार कराने की योजना है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से टर्मिनल-वन के दोनों टर्मिनल को मिलाकर एक किया जा रहा है। वर्तमान में अलग-अलग टर्मिनल से अराइवल और डिपार्चर विमानों का संचालन किया जाता है, लेकिन विस्तार के बाद आने और जाने वाले विमानों का एक ही टर्मिनल से संचालन किया जा सकेगा। इसमें टर्मिनल-थ्री की तरह अत्याधुनिक सुविधाएं भी जुटाई जाएंगी ताकि यात्रियों को वहां ज्यादा सुविधाएं मिल सकें। टर्मिनल-वन के पूर्ण विस्तार के बाद अगले चरण में टर्मिनल-टू को धवस्त कर उसकी जगह टर्मिनल-फोर का निर्माण कराए जाने की योजना है।

अत्याधुनिक तकनीक का होगा प्रयोग : पहली बार देश के किसी टर्मिनल में 22 एयरोब्रिज बनाए जाएंगे। साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसमें चेहरे को पढ़ने वाले कैमरे, ऑटोमेटेड ट्रे रिट्रीवल सिस्टम (एटीआरएस), इंडिविजुअल कैरियर सिस्टम (आइसीएस), कामन यूजेज सेल्फ सर्विस (सीयूएसएस) व सेल्फ बैगेज ड्रॉप क्योस्क प्रमुख हैं। इसके अलावा वहां अन्य सुविधाएं जुटाई जाएंगी।

तीन चरणों में कराए जाएंगे विस्तार कार्य : आइजीआइ एयरपोर्ट पर बढ़ते यात्रियों की संख्या के मद्देनजर भविष्य की योजना बनाई गई है। वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आइजीआइ एयरपोर्ट के मास्टर प्लान 2016 को मंजूरी दी थी। मास्टर प्लान तीन चरणों में लागू किया जाएगा। फेज 3ए के तहत 2018 से 2021 तक, फेज 3बी के अंतर्गत 2021 से 2025 तक जबकि फेज चार के चरण का विस्तार व निर्माण कार्य 2026 से शुरू होगा। अनुमान है कि 2021 में आइजीआइ की यात्री क्षमता 80 मिलियन, 2025 में 102 मिलियन और फेज-चार के दौरान 119 मिलियन प्रतिवर्ष पर पहुंच जाएगी।

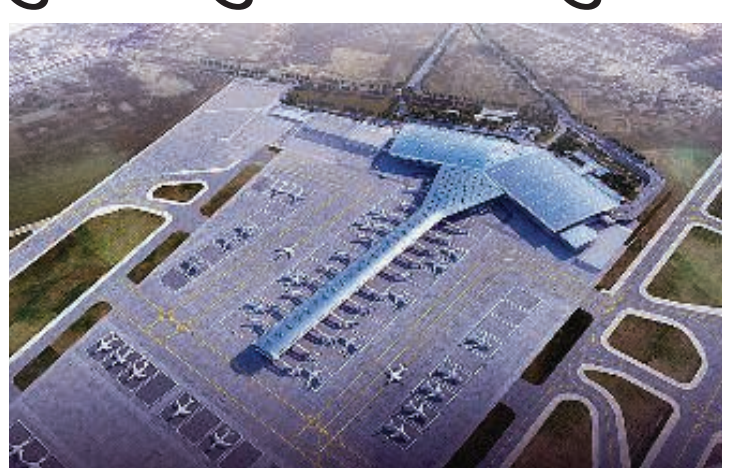

टर्मिनल-वन बनने के बाद ऊपर की तरफ से कुछ इस तरह दिखेगा। फोटो : सौजन्य डायल

यह भी होगा

- टर्मिनल के एयर साइड में चौथे रनवे, एलिवेटेड क्रास टैक्सी-वे और एप्रन एरिया का भी निर्माण कराया जा रहा है।
- इसकी क्षमता दो करोड़ से बढ़कर चार करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी।
- मेट्रो से जुड़ जाने से घरेलू एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगा।
- टर्मिनल-तीन और टर्मिनल-एक को मिलाकर फ्लाइट ऑपरेशन के लिए 11-29 रनवे के समानांतर चौथे रनवे का निर्माण कराया जाएगा।

राजपूताना स्कूल के छात्रों को स्थानांतरित करने का निर्देश

जासं, नई दिल्ली : जर्जर इमारत में पढ़ने को मजबूर दिल्ली कैंट स्थित राजपूताना राइफल्स हीरोज मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को दिल्ली हाई कोर्ट ने तत्काल दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि स्कूल की जर्जर इमारत को देखते हुए फौरी तौर पर सेना व दिल्ली सरकार के स्कूलों में इन बच्चों को समायोजित किया जाए। पीठ ने कहा कि 300 बच्चों को अस्थाई रूप से दो स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें एक कैंट बोर्ड और दूसरा दिल्ली सरकार द्वारा संचालित है।

गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की तरफ से दायर जनहित याचिका पर मुख्य पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को छह महीने के लिए परिवहन की व्यवस्था करें। पीठ ने यह फैसला सेना पर छोड़ दिया कि वह स्कूल का पुनर्निमाण करे या फिर उक्त भूमि को किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग करे। पिछली तारीख पर मुख्य पीठ ने कहा था कि आखिर क्यों बच्चे कॉरिडोर, छज्जे और पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हो रहे हैं।